Hindustan Edition Delhi
18.4.2017 Page 13
Height 15.25cm Width 13.19 cm

धोखाधड़ी और अन्य जोखिम खत्म करने की कवायद

ई-वॉलेट ग्राहकों के लिए आधार नंबर अनिवार्य

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

ई-वॉलेट प्रयोग करने वाले ग्राहकों को आने वाले दिनों में आधार मुहैया कराना जरूरी होगा। रिजर्व बैंक ग्राहक की पहचान (केवाईसी) के लिए इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी में है। अगर ई-वॉलेट प्रयोग करने वाले ने मोबाइल नंबर के सत्यापन के लिए पहले से आधार दिया है तो उसे दोबारा ये जहमत नहीं उठानी पड़ेगी।

ई वॉलेट कंपनियां आधार के जरिये केवाईसी करने के मसले पर तैयार किए गए आरबीआई के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। हालांकि प्रीपेड भुगतान प्रणाली के लिए जारी मसौदे की खिलाफत कोई खुल कर नहीं कर रहा है। कंपनियों का कहना है कि बड़ी तादाद में लोगों ने आधार को अपने मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ रखा है और 1.12 अरब से ज्यादा कनेक्शन इस देश में हैं। ऐसे में कंपनियों को भारी नुकसान होगा जबकि गौजूदा रागय फौरी केवाईसी कर रही हैं। सूत्रों की मानें तो आरबीआई का पक्ष कंपनियों से बिल्कुल उलट है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि मोबाइल नंबर के साथ आधार के जुड़ने के बाद महज एक मोबाइल नंबर से ई-वॉलेट कंपनियां आसानी से ग्राहक की पूरी पहचान कर सकेंगी। साथ ही किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और अन्य जोखिम भी खत्म हो जाएंगे।

मौजूदा समय ई-वॉलेट कंपनियां ग्राहक को सुविधाएं प्रदान कराने से पहले कुछ जानकारियां ऑनलाइन ही लेती हैं। इसमें मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई का कहना है कि ग्राहक की फौरी सूचना जुटाने से हकीकत सामने नहीं आती है। फर्जी ई-मेल और मोबाइल नंबर के जरिये कौन अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। यह पता लगाना कंपनियों के बस कि बात नहीं है जबकि कंपनियां कहती हैं कि इस व्यवस्था से उनका खर्च बढ़ जाएगा जिससे ग्राहकों को निशुल्क सेवाएं मुहैया कराने में उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। गौजूदा रागय में पीपीआई के जरिये प्रतिगाह की खरीद-फरोख्त करीब 6,000 करोड़ रुपये की होती है। इसमें 4,000 करोड़ रुपये का मुद्रा स्थानांतरण होता है।

सख्ती

- रिजर्व बैंक अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के लिए लागू करने की तैयारी में
- मोबाइल नंबर के सत्यापन के लिए आधार दे चुके ग्राहकों को जरूरत नहीं
- बड़ी संख्या में आधार से नहीं जुड़े हैं मोबाइल नंबर

6.6 अरब डॉलर का मोबाइल वॉलेट बाजार होगा भारत का वर्ष 2020 तक

7448 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ मोबाइल वॉलेट से दिसंबर 2016 में